

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 232] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 4, 1978/अग्रहायण 13, 1900
No. 232] NEW DELHI, MONDAY, DEC. 4, 1978/AGRAHAYANA 13, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(अप्रत्यक्ष कर प्रभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 1978

सं प्रतियोगिता/सा. सू. 50/78.—सीमाशुल्क तथा केंद्रीय उत्पादनशुल्क प्रतियोगिता नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 52/फ. सं. 602/2/70-प्र. अ.) के नियम 4 के अधीन, केंद्रीय सरकार समय-समय पर यथासंशोधित सार्वजनिक सूचना सं. प्रतियोगिता/सा. सू. 1,

दिनांक 15 अक्टूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती हैं :—

1. उप-क्रमांक 1103 और 1122 के अन्तर्गत निम्नलिखित टिप्पणी अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

टिप्पणी :—प्रतिअवायगी की उपर्युक्त दर में, प्रयुक्त पैकिंग सामग्री पर, यदि कोई हो, प्रतिअवायगी शामिल नहीं है।”

2. उप-क्रमांक 1110 के अन्तर्गत निम्नलिखित टिप्पणी अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

टिप्पणी :—उपर्युक्त भव (2) के सम्बन्ध में प्रतिअवायगी की दर में प्रयुक्त पैकिंग सामग्री पर, यदि कोई हो, प्रतिअवायगी शामिल नहीं है।”

3. यह सार्वजनिक सूचना जून, 1978 के प्रथम दिन से लागू हुई मानी जाएगी।

महेश कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(Indirect Taxes Division)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 4th December, 1978

No. DRABACK/PN-50/78.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971, as amended from time to time :—

1. Under sub-serial Nos. 1103 and 1122, the following Note shall be inserted, namely :—

“Note :—The above rate of drawback is exclusive of drawback on packing materials used, if any.”

2. Under sub-serial No. 1110, the following Note shall be inserted, namely :—

“Note :—The rate of drawback in respect of item (ii) above is exclusive of drawback on packing materials used, if any.”

3. This Public Notice shall be deemed to have come into force on the 1st day of June, 1978.

MAHESH KUMAR, Under Secy.